न्यायालय सहायक कलक्टर नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 05/23 तारीख दायरा:–12.12.2023

तमरदीन पुत्र इसलाम जाति मेव निवासी ग्राम दुनावल तहसील नगर जिला डीग।

————वादी

बनाम

1. रहीस पुत्र इसलाम
2. रहमान पुत्र सिताब
3. साहुन पुत्र दीनमोहम्मद पुत्र चाहत
4. सरपू पुत्र शुका पत्र चाहत
5. मुंशी पुत्र शुका पत्र चाहत
6. कल्लू पुत्र शुका पत्र चाहत

जातिगान मेव निवासी ग्राम दुनावल तहसील नगर जिला डीग।

7. श्रीमान तहसीलदार तहसील नगर
8. श्रीमान उपपंजीयक तहसील नगर
9. श्रीमती अंजुम पत्नी मुकीम जाति मेव निवासी ग्राम दुनावल तहसील नगर जिला डीग।

————प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित:–

1. अधिवक्ता श्री ललित अवस्थी वादी।
2. अधिवक्ता श्री मेघसिंह मगौर प्रतिवादी संख्या 03 से 06
3. अधिवक्ता श्री गुलफाम खान प्रतिवादी संख्या 09

<u>निर्णय</u> दिनांक:–16.07.2025

वादी द्वारा न्यायालय हाजा मे एक वाद बावत विभाजन एंव अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 214/0.51, 215/0.47 वाके ग्राम दुनावल तहसील नगर मे स्थित है। जिसका वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्सा अनुसार अच्छी मे अच्छी तथा बुरी मे से बुरी आराजी के कुर्रे बनाये जाकर विभाजन कर पृथक–पृथक खाता एंव पृथक–पृथक लगान कायम किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 03 से 06 के अधिवक्ता श्री मेघसिंह मगौर न्यायालय मे उपस्थित होकर वाद वादी अच्छी मे अच्छी तथा बुरी मे से बुरी आराजी के कुर्रे रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मगंवाये जाने हेतु सहमती जाहिर की। प्रतिवादी संख्या 09 के अधिवक्ता श्री दिनेश चंद गुप्ता ने न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाब दावा पेश कर वाद वादी अच्छी मे अच्छी तथा बुरी मे से बुरी आराजी के कुर्रे रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मगंवाये जाने हेतु सहमती जाहिर की।

बहस उपरान्त प्रकरण मे दिनांक 11.09.2024 को दावा वादी प्राथमिक डिक्री जारी जाकर वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार अच्छी मे से अच्छी तथा बुरी मे से बुरी आराजी के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र न्यायालय मे पेश करने बावत आदेश प्रदान किये

तहसीलदार नगर द्वारा वजनवानी प्रकरण मे विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्र मांक/भू.अ./25/1002 दिनांक 24.04.2025 को न्यायालय हाजा को कुछ इस प्रकार से प्रेषित किये गए।

1. आराजी खसरा नं0 215/3/0.16 किता 01 रकबा 0.16 है0 अंजुम पत्नी मुबीन जाति मेव सा. दुनावल खातेदार।
2. आराजी खसरा नं0 214/1/0.26, 215/1/0.23 किता 02 रकबा 0.49 है0 मुस्ता, दीनमोहम्मद पिसरान चाहत जाति मेव सा. दुनावल खातेदार रहिन हिस्सा दीनमोहम्मद बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय बैंक शाखा नगर।
3. आराजी खसरा नं0 214/2/0.20 किता 01 रकबा 0.20 है0 उमरदीन पुत्र इसलाम जाति मेव सा. दुनावल खातेदार।
4. आराजी खसरा नं0 214/3/0.05 किता 01 रकबा 0.05 है0 रहीस पुत्र इसलाम जाति मेव सा. दुनावल खातेदार।
5. आराजी खसरा नं0 215/2/0.08 किता 01 रकबा 0.08 है0 उस्मान पुत्र सिताब जाति मेव सा. दुनावल खातेदार।

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ संलग्न नज़री नक़्शा कुछ इस प्रकार से है।

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया।

कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियमए 1955 की धारा-53 के अन्तर्गत भूमि
विभाजन के प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम-21 के
अन्तर्गत केवल तहसीलदार के द्वारा ही तैयार किये जाने चाहिये। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते
समय मौका मुआयना करने हेतु जाते समय तहसीलदार द्वारा समस्त पक्षकारों को सूचना दी
जानी चाहिए। विधि का यह सुनिश्चित प्रावधान है कि समस्त पक्षकारों की उपस्थिति में ही
मौका मुआयना किया जाना चाहिये एवं विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम-18 से 21 के
अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। कुर्रेजात रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार
नगर द्वारा पक्षकारान को दिनांक 22.11.2024 को सूचित किया गया था। कुर्रेजात रिपोर्ट में
कुछ पक्षकारान द्वारा मौके पर उपस्थित होकर हस्ताक्षर भी किये गये तथा मौके पर
उपस्थित गवाहान के भी हस्ताक्षर है। मौका पर्चा तहसीलदार नगर द्वारा स्वयं ही तैयार किया
गया है। उक्त खेत के भू भाग को अच्छे में से अच्छे और बुरे में से बुरे के न्यायिक सिध्दांत के
अंतर्गत ही तैयार किया गया है। अतः नियमों के सन्दर्भ में कुर्रेज़ात रिपोर्ट प्रामाणिक व सही
प्रतीत होती है जिसके अनुसार वादी रिकॉर्ड के अनुसार विभाजन कराने का अधिकारी है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)

:आदेश:

अत बाद बादी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नगर से प्राप्त मुर्दजात रिपोर्ट दिनांक 24.04.2025 के आधार पर उभय पक्ष के मध्य विवादित आराजी खसरा नं0 214/0.51, 215/0.47 बाके ग्राम दुनावल तहसील नगर को मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी, खातो अलग-अलग बहिस्सा लगान कायम किये जाकर निम्न प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे इंद्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

1. आराजी खसरा नं0 215/3/0.16 किता 01 रकबा 0.16 है0 अंजुम पत्नी मुकीम जाति मेव सा. दुनावल खातेदार।
2. आराजी खसरा नं0 214/1/0.26, 215/1/0.23 किता 02 रकबा 0.49 है0 सूखा, दीनमौहम्मद पिसरान चाहत बहिस्सा बराबर जाति मेव सा. दुनावल खातेदार राहिन हिस्सा दीनमौहम्मद बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय बैंक शाखा नगर।
3. आराजी खसरा नं0 214/2/0.20 किता 01 रकबा 0.20 है0 उमरदीन पुत्र इसलाम जाति मेव सा. दुनावल खातेदार।
4. आराजी खसरा नं0 214/3/0.05 किता 01 रकबा 0.05 है0 रहीस पुत्र इसलाम जाति मेव सा. दुनावल खातेदार।
5. आराजी खसरा नं0 215/2/0.08 किता 01 रकबा 0.08 है0 उस्मान पुत्र सिताब जाति मेव सा. दुनावल खातेदार।

साथ ही तहसीलदार नगर को आदेशित किया जात है कि वे सूखा, दीनमौहम्मद पिसरान चाहत के विधिक वारिसान की जाच कर उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज करे।

नक्शे मे तरमीम निम्नानुसार की जावे।

उ0

214/1/0.26	214/2/0.20	214/3/0.05

द0

215/1/0.23	215/2/0.08	215/3/0.16

इसी प्रकार पर्चा डिकी जारी हो। निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

16/7/25

(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
सहायक कलक्टर
नगर (डीग)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज0

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तनाई
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

उमरदीन पुत्र इसलाम जाति मेव निवासी ग्राम दुनावल तहसील नगर जिला डीग।

------वादी

वनाम

1. रहीस पुत्र इसलाम
2. उसमान पुत्र सिताव
3. साहून पुत्र दीनमौहम्मद पुत्र चाहत
4. सरपू पुत्र सूका पत्र चाहत
5. मुशी पुत्र सूका पत्र चाहत
6. कल्लू पुत्र सूका पत्र चाहत

जातियान मेव निवासी ग्राम दुनावल तहसील नगर जिला डीग।

7. श्रीमान तहसीलदार तहसील नगर
8. श्रीमान उपपंजीयक तहसील नगर
9. श्रीमती अंजुम पत्नी मुकीम जाति मेव निवासी ग्राम दुनावल तहसील नगर जिला डीग।

----प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हमारे वहाजरी वादी श्री ललित अवस्थी अभिभाषक मिनजानिब मुद्दई श्री मेघसिंह भगौर, श्री गुलफान खान अभिभाषक मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि अत वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। अत वाद वादीया स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नगर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 24.04.2025 के आधार पर उभय पक्ष के मध्य विवादित आराजी खसरा न0 214/0.51, 215/0.47 वाके ग्राम दुनावल तहसील नगर को मुताबिक हिस्सा जगावन्दी, खाते अलग–अलग वहिस्सा लगान कायम किये जाकर निम्न प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे इंद्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

1. आराजी खसरा नं0 215/3/0.16 किता 01 रकबा 0.16 है0 अंजुम पत्नी मुकीम जाति मेव सा. दुनावल खातेदार।
2. आराजी खसरा नं0 214/1/0.26, 215/1/0.23 किता 02 रकबा 0.49 है0 सूखा, दीनमौहम्मद पिसरान चाहत वहिस्सा बराबर जाति मेव सा. दुनावल खातेदार राहिन हिस्सा दीनमौहम्मद बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय बैंक शाखा नगर।
3. आराजी खसरा नं0 214/2/0.20 किता 01 रकबा 0.20 है0 उमरदीन पुत्र इसलाम जाति मेव सा. दुनावल खातेदार।
4. आराजी खसरा नं0 214/3/0.05 किता 01 रकबा 0.05 है0 रहीस पुत्र इसलाम जाति मेव सा. दुनावल खातेदार।
5. आराजी खसरा नं0 215/2/0.08 किता 01 रकबा 0.08 है0 उस्मान पुत्र सिताव जाति मेव सा. दुनावल खातेदार।

साथ ही तहसीलदार नगर को आदेशित किया जात है कि वे सूखा, दीनमौहम्मद पिसरान चाहत के विधिक वारिसान की जाच कर उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज करें।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज0

पक्षों के तत्कालीन [illegible] की जाये।

[illegible]

[illegible]

(कुमारी कमला मीना) आ.प्र.से.
सहायक कलक्टर
[illegible]
[illegible]
[illegible]